सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मजदूरों की भागीदारी

344. **श्री मीर्जा इर्शादबेग :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और उद्यमों में मजदूरों की भागीदारी के सिद्धांत को स्वीकार करती है ;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के ऐसे कितने उपक्रम और उद्यम है जिनमें प्रबंध बोर्ड में मजदूरों का प्रतिनिधित्व दिया गया है और यह किस मात्रा में तथा किस स्तर पर दिया गया है ;

(ग) क्या कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें उनके प्रतिष्ठानों में श्रमिकों की भागीदारी के सिद्धांत से मुक्त रखा जाये, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) इस सिद्धांत को किस अवधि में पूर्णत: लागू किये जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां ।

(ख) सात सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निदेशक मंडल में ट्रेड यूनियन नेताओं को नियुक्त किया है । इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) (योजना, 1970 के अधीन, कर्मचारी/कर्मचारी निदेशकों को 22 सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के निदेशक मंडलों में नियुक्त किया गया है ।

(ग) दस केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने प्रबंध में श्रमिक साझेदारी की योजना से छूट के लिए अनुरोध किया है ।

(घ) इनमें से नौ उपक्रमों को छूट नहीं दी गई है और उनसे उक्त योजना को लागू करने के लिए सहमत किया जा रहा है ।

(ङ) सभी सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों में उक्त योजना का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के कदम उठाए जा रहे हैं ?

Guidelines for holding Loan Melas

345. SHRI SUKOMAL SEN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether any guidelines have been issued by the Reserve Bank of India in respeet of holding loan melas!

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) how many loan melas have been held so far and how much money has been disbursed through these loan melas?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARY): (a) and (b) The Reserve Bank of India (RBI) has not issued any separate set of guidelines in respect of loans to be sanctioned and disbursed in credit camp. The RBI guidelines for lending to priority sector and weaker sections of society are applicable to all cases irrespective of the fact whether loans were given in a credit camp or otherwise.

(c) The present data reporting system of RBI does not yield this information since no central monitoring of credit camps held, number of benefi-ries and amount of loan sanctioned in such camps, is being done.

गुजरात में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों में वेतनमानों में असमानता

346. **श्री मीर्जा इर्शादबेग :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों तथा इसके मुख्यालय में

कार्य कर रहे तकनीशियनों और अधिकारियों के ग्रेडों और वेतनमानों में असमानता के क्या कारण हैं, ये असमानताएं कब से विद्यमान हैं, क्या इन्हें दूर किये जाने की कोई मांग की गई है और यदि हां तो यह मामला अभी तक अनिर्णीत क्यों है, क्या इस असमानता को दूर करने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा इस असमानता को दूर करने के लिए कब तक कोई कदम उठाये जाने की संभावना है ;

(ख) क्या इन मिलों तथा मुख्यालय में कार्य कर रहे कर्मचारियों के बीच छुट्टी यात्रा रियायत तथा मकान किराया भत्ते के संदर्भ में भी इसी तरह की असमानता है, यदि हां, तो इस असमानता के क्या कारण हैं और इसे कब तक दूर कर दिया जायेगा; और

(ग) क्या सेवा-निवृत्ति की आयु में भी क्रमशः 58 वर्ष और 60 वर्ष की असमानता है और यदि हां, तो इस असमानता को कब तक दूर कर दिये जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी हां। मिलों और प्रधान कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के ग्रेडों, वेतनमानों, एल०टी०सी० और मकान किराया भत्ता नियमों में असमानताएं हैं। इन असमानताओं के होने का मुख्य कारण मिल और प्रधान कार्यालय के कर्मचारियों को नियंत्रित करने वाली कार्य और सेवा शर्तों में अन्तर है। ये असमानताएं इन एककों के एन०टी०सी० के नियंत्रण अधीन आने के पहले से ही विद्यमान हैं। एन०टी०सी० को इन असमानताओं को दूर करने के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, एन०टी०सी० के लिए मिलों और प्रधान कार्यालय के कर्मचारियों की कार्य और सेवा शर्तों में अन्तर होने के कुछ कारण इन असमानताओं को दूर करना संभव नहीं हो पाया है।

(ग) जी हां। तथापि मामला न्यायाधीन है।

आतंकवादियों द्वारा दिल्ली में हत्यायें

347. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1987 और 29 अक्तूबर, 1987 के बीच आतंकवादियों द्वारा दिल्ली में कितने व्यक्तियों की हत्या की गई और यह हत्याएं कितनी घटनाओं में हुई ;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ों में कितने आतंकवादी मारे गये ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) इस अवधि के दौरान इस प्रकार की तीन घटनाओं में 27 व्यक्ति मारे गए और 26 घायल हुए हैं।

(ख) 4(चार)

(ग) 1(एक)।

Issue of Bonds by IDBI

348. PROF. C. LAKSHMANNA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Industrial Development Bank of India proposes to issue Rs. 272.75 crore worth of bonds; and

(b) if so, what are the main features of this proposal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARY): (a) and (b) The Industrial Development Bank of India has reported that it had issued its 46th Series of bonds for a notified amount of Rs. 272.75 crores with a right to retain excess subscription up to Rs. 27.25 crores in September,